मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारी समिति की 29वीं बैठक दिनांक 8 अगस्त, 1995 का कार्यवाही विवरण.

.....

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारी समिति की 29वीं बैठक दिनांक 8 अगस्त, 1995 को परिषद् सभा कक्ष में अपरान्ह् 3.00 बजे माननीय डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. श्री मनोहर पाण्डे, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल. — प्रमुख सचिव, विएवंप्रौ के प्रतिनिधि

2. श्री बी.पी. शर्मा, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल — प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि

3. श्री यश कुमार, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनशक्ति नियोजन विभाग, भोपाल. — सचिव, जनशक्ति नियोजन के प्रतिनिधि

4. श्री अनिल चौबे, ओ.एस.डी., उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल. — प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि

5. श्री सी.ए. केशवानी, संचालक, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल.

6. डॉ. राम प्रसाद, महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल.

7. श्री के.एम. जौहरी, समिति के मनोनीत सदस्य सचिव एवं कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल.

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

सर्वप्रथम बैठक प्रारंभ होने के पूर्व परिषद् द्वारा प्रकाशित **'न्यूस लेटर'** का माननीय अध्यक्ष द्वारा विमोचन किया गया ।

विमोचन उपरान्त श्री के.एम. जौहरी, कार्यकारी संचालक ने परिषद् की ओर से माननीय मंत्री महोदय डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, जो कार्यकारी समिति की अध्यक्ष है, का एवं बैठक में उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया तथा बैठक को सफल बनाने हेतु आभार व्यक्त किया । इसके पश्चात् महानिदेशक डॉ. राम प्रसाद ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनके मार्गदर्शन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् उत्तरोत्तर प्रगति करेगा ।

परिषद् की ओर से समिति के संयोजक श्री के.एम. जौहरी, कार्यकारी संचालक द्वारा कार्यसूची समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

विभिन्न कार्यसूचियों पर विचार विमर्श एवं चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्यसूची क्रमांक :1: दिनांक 25 मई, 1995 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सत्यापन :

दिनांक 25 मई, 1995 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से सत्यापन किया गया । इस संबंध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा वित्त विभाग की स्थिति व्यक्त की गई कि उन्हें कार्यसूची के विवरण से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि डॉ. एन.पी. शुक्ला का संविलियन उनकी सेवा में आने पूर्व किया गया है । इसी प्रकार से अन्य ऐसे प्रस्ताव, जिनका संबंध शासन से प्राप्त होने वाले भुगतान से हैं, इसके बारे में वित्त विभाग को प्रतिक्रिया या मत देने हेतु पर्याप्त समय मिलना चाहिए :

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

(1) कार्यकारी समिति के लिए मान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा बैठक के समय या अगली बैठक में कार्यवाही विवरण अनुमोदन कराया जाना चाहिए । वर्तमान प्रकरण में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन कर दिया गया था और बाद में वित्त विभाग की आपत्तियाँ प्राप्त हुई ।

इन आपत्तियों में कुछ मुद्दों पर वित्त विभाग में प्रतिनिधि की ओर से जानकारी चाही गई । जैसे कि डॉ. एन.पी. शुक्ला, परियोजना संचालक का संविलियन का प्रश्न है इस पर स्पष्ट किया गया कि वास्तव में इसे संविलियन न लिख कर उसे 'चयन' लिखा जाना चाहिए था क्योंकि डॉ. शुक्ला अपने मूल विभाग से त्यागपत्र देकर आए है और उन्हें उनकी पुरानी सेवा का कोई लाभ न देकर परिषद् में चयन करके नियुक्त किया गया ।

इसी तरह से विभिन्न भत्तों इत्यादि में बढ़ोत्तरी के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया कि प्रवास अधिकता सुदूर संवेदन उपयोग केनद्र के वैज्ञानिकों के लिए है, जो विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त धनराशि से व्यय किया जाता है । मानचित्रकारों के वेतनमान इत्यादि के बारे में भी आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया।

अंततः कार्यकारी समिति में पूर्व में अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवाही विवरण को यथावत रखते हुए यह निर्णय दिया कि वित्त विभाग द्वारा जो आपत्तियाँ उठाई गई है तथा जिन पर बैठक में स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है, उन्हें वित्त विभाग को लिखकर सूचित किया जाए । यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में वित्तीय मामलों से संबंधित मुद्दों के बारे में 'एजेण्डा नोट' लगभग एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को भेजा जावेगा ।

(2) भविष्य में किसी भी बैठक में वित्त विभाग संबंधी प्रस्तावों के बारे में या तो वित्त विभाग का मत अग्रिम में प्राप्त कर लिया जाए या कार्यसूची पर्याप्त समय पर भेजी जावे ।

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

कार्यसूची क्रमांक :2: कार्यकारी समिति की 28वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का प्रगति प्रतिवेदन :

कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रगति प्रतिवेदन पर प्रसन्नता व्यक्त की गई ।

कार्यसूची क्रमांक :3: परिषद् द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा तथा भावी कार्यक्रमों हेतु दिशा निर्देश तय करना ।

परिषद् के कार्यकलापों की समीक्षा की गई एवं भावी कार्यो पर चर्चा की गई । माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने विभिन्न कार्यो से संतुष्टि प्रकट करते हुए भारत शासन से अधिक परियोजनायें लाने एवं परिषद् में उपलब्ध सुविधा का लाभ लोगों तक पहुँचाने एवं उसे राजस्व प्राप्त कराने की सराहना की ।

कार्यसूची क्रमांक :4: सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में इमेज एनालिसिस सिस्टम एवं जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली) क्रय किये जाने के संबंध में।

इस सिस्टम के क्रय करने के संबंध में विस्तार से विभिन्न चरणों में जो कार्यवाही की गई थी, उसका विवरण दिया गया । की गई कार्यवाही पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई ।

कार्यसूची क्रमांक :5: डॉ. सुब्रतो खान एवं डॉ. एम.पी. अग्निहोत्री को वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक/परियोजना संचालक पद पर पदोन्नति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण ।

कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि :

डॉ. एम.पी. अग्निहोत्री, संयुक्त संचालक, जिनके संविलिनियन के संबंध में कार्यकारी समिति द्वारा पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है, का औपचारिक संविलियन परिषद् करें ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

जहाँ तक पदोन्नति हेतु प्रक्रिया का संबंध है सर्वसम्मति से यह मत दिया गया कि वेतनमान रूपये 4500-7300 पर पदोन्नति से न भरा जाकर विज्ञापन द्वारा भर्ती की जाए, जिसमें डॉ. खान, संसाधन वैज्ञानिक एवं डॉ. अग्निहोत्री, संयुक्त संचालक को भी अवसर दिया जावे । महानिदेशक चयन समिति का गठन करें ।

कार्यसूची क्रमांक :6: लघु शोध परियोजनाएँ ।

कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया कि विशिष्ट परियोजनाओं में महानिदेशक रूपये 2.00 लाख के बजाय रूपये 5.00 लाख तक परियोजनाएं स्वीकृत कर सकेगा ।

कार्यसूची क्रमांक :7: परिषद् के आंतरिक लेखा निरीक्षण के लिए चार्टड लेखाकार की नियुक्ति ।

कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक :8: अगली आम सभा की बैठक हेतु मुद्दे निर्धारित करना ।

कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक :9: कार्यदल (टास्कफोर्स) को पुर्नगठित कर अद्यतन करना ।

कार्यकारी समिति द्वारा संकल्प अनुसार प्रस्ताव पारित किया गया । महानिदेशक को अधिकृत किया कि वे कार्य दलों को पुर्नगठित करें एवं उनको सक्रिय करें ।

अंत में महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् ने बैठक में उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गई ।

अनुमोदित ·

अध्यक्ष
म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्

......

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

/अर्चना/